1.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/6386

श्री विनोद श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 29-12-017 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 2-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 29.12.17

अमरजीत छाबडा पुत्र स्व. श्री बजीर चन्द्र छाबडा , आयु 65 साल, व्यवसाय कृषिकार्य , निवासी लाजपत राय मार्ग अशोकनगर जिला अशोक नगर म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार तहसील अशोकनगर जिला अशोक नगर म.प्र.
2. हेमेन्द्र रघुवंशी (पटवारी) हल्का नं. 27 अशोकनगर
3. दौजीराम अहिरवार राजस्व निरीक्षक वृत्त1अशोकनगर तहसील अशोकनगर
4. गुरूनेव सिंह पुत्र बलवंत सिंह
5. गुरूत्यार सिंह पुत्र बलवंत सिंह

निवासीगण बलवंत कालोनी गुना जिला गुना म.प्र.

..... अनावेदकगण

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
29/12/17

<u>निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार अशोकनगर दिनाक 23.10.2017 अंतर्गत धारा 50मप्र. भू राजस्व संहिता सहपठित धारा 8 अधीक्षण शक्तियों के प्रयोग हेतु एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त 1अशोकनगर तहसील अशोकनगर द्वारा प्रेषित कब्जे के संबंध में प्रतिवेदन दिनाक 26.10.2017 को शून्य घोषित किए जाने हेतु प्रकरण क्रमांक पंजीबद्ध न होने से अज्ञात।</u>

—2

(4)

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश, ग्वालियर

III/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/6386.
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	अमरजीत दलवड़ा विरुद्ध म०प्र०शासन एवं हेमेन्द्र आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
12-01-2018	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री बिनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के संबंध में प्रश्नाधीन अभिलेख राजस्व निरीक्षक वृत्त–1 अशोकनगर की स्थल जांच रिपोर्ट दिनांक 26.10.17 का परिशालन कर उस पर विचार किया गया । विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं ठोस आधार न होने से यह निगरानी अग्राहय की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा0रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर	